अनुलग्नक–1

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषयः–बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (यथा संशोधित 2020) में संशोधन।

1. राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 दिनांक–01.09.2016 के प्रभाव से लागू की गई है साथ ही 29.06.2022 के प्रभाव से संशोधित नीति लागू की गयी। नीति को और प्रभावी बनाने हेतु इसमें निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं:

2. (क) नीति की कंडिका–5.2.1 के शीर्ष को "प्राथमिकता वाले क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए रिक्त औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन" को "विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए रिक्त औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ख) नीति की कंडिका 5.2.1 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है।

"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण करने वाली इकाइयों एवं सेवा प्रक्षेत्र में निम्न प्रकार की इकाइयों को जमीन आवंटित की जा सकेगी–

i. आई०टी० पार्क (डिजाईन एवं डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, कॉल सेन्टर, ऑनलाईन परीक्षा केन्द्र एवं इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन)
ii. स्टार्ट अप को–वर्किंग स्पेस एवं स्टार्ट अप हब।
iii. ग्रेड–ए वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क (बियाडा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप)
iv. रिसर्च लैब / टेस्टिंग लैब।"

(ग) नीति की कंडिका 8 (ख) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है–

"विद्यमान इकाइयाँ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/दरों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य होगी, जबतक इकाई की समय–सीमा एवं/अथवा सीमा समाप्त न हो गई हो। जिन इकाइयों द्वारा पूर्व की प्रोत्साहन नीतियों में किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त किया गया है वे वर्तमान नीति में मात्र उन मदों में प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी जो उन्होंने पूर्व में प्राप्त नहीं किए हैं।"

(घ) नीति की कंडिका 6.1 (x) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है:

"परन्तु ऐसी इकाइयाँ जिनमें स्वीकृत परियोजना लागत 200 करोड़ से अधिक हैं के लिए यह समय सीमा 07 वर्ष होगी। यह राशि उन्हीं इकाईयों को देय होगी जो इस विस्तारित अवधि में प्राप्त प्रोत्साहन राशि को इस इकाई में या अन्य इकाई में पुनः निवेश करेंगी।"

3. दो करोड़ से क्रम के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए उन पर निर्णय लेने हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय को प्राधिकृत किया जाता है। यह निर्णय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव उद्योग विभाग के स्तर पर लिये जायेंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14/x/22

(संदीप पौण्डरीक)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 4571

05/स० विविध बियाडा (उत्पाद परिवर्तन)–21/2019

पटना, दिनांक– 14/10/22

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 01 हजार प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध करायें।

14/x/22

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 4571

05/स० विविध बियाडा (उत्पाद परिवर्तन)–21/2019

पटना, दिनांक– 14/10/22

प्रतिलिपि:–(1) महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/x/22

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 4571 पटना, दिनांक— 14/10/22

05/स० विविध बियाडा (उत्पाद परिवर्तन)—21/2019

प्रतिलिपिः— सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/22

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 4571 पटना, दिनांक— 14/10/22

05/स० विविध बियाडा (उत्पाद परिवर्तन)—21/2019

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना/प्रबंध निदेशक, आयडा, पटना/उद्योग विभाग के सभी निदेशालय/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग विभाग के सभी निगम/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम०एस०एम०ई०डी०आई०, पाटलीपुत्रा, पटना/अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/22

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 4571 पटना, दिनांक— 14/10/22

05/स० विविध बियाडा (उत्पाद परिवर्तन)—21/2019

प्रतिलिपिः— माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ माननीय मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14/10/22

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।